



राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प0 1(318)एमई/ग्रुप-1/2017

जयपुर, दिनांक 27 JAN 2022


आदेश

डॉ. शेख मोहम्मद अफजल द्वारा दायर अवमानना याचिका संख्या 338/2021 में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 04.01.2022 को पारित आदेश के क्रम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 9331/2022 में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2021 की पालना में डॉ. संजीव कुमार गोयल, वरिष्ठ प्रदर्शक, माइक्रोबायोलोजी विभाग, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर को एम.डी. (जनरल मेडिसिन) कोर्स करने हेतु कोर्स ज्वाइन करने की तिथि से 03 वर्ष का असाधारण अवकाश एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है।

1. उक्त स्वीकृति इस विभाग द्वारा प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में दायर अपील Special Appeal Writ (filling) no. 40477/2021 के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन होगी।
2. डॉ. संजीव कुमार गोयल अध्ययन अवकाश हेतु राजस्थान सेवा नियमों के तहत निर्धारित बन्ध पत्र राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे।


यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,


(अशोक कुमार सोनी
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग राज. जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राज., जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।
5. सहायक विधि परामर्शी, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राज. जयपुर।
6. ए.सी.पी. चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित चिकित्सक शिक्षक।
8. रक्षित पत्रावली।


(अनुराग हिरित)
शासन सहायक सचिव